अदालत की अवमानना-अदालत के आदेश की उपस्थिति और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट जमा करना-अपीलार्थी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें घोषणा, कब्जा, स्थायी निषेधाज्ञा और अपनी दिवंगत माँ के स्वामित्व वाली मुक़दमे की संपत्ति के विभाजन की मांग की गई-अपीलार्थी की माँ ने निचली मंजिल और पहली मंजिल वाली एक मुख्य इमारत का निर्माण किया था-प्रतिवादी संख्या के अनुसार। 1, उक्त संपत्ति को अपीलार्थी की माँ द्वारा उसके बेटे-अपीलार्थी और उसकी बेटी (प्रत्यर्थी सं. 1 की माँ)-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 02.06.2008 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी नं.1 और उसके पिता को मुकदमे की संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित को अलग करने या बनाने से-इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 1, उनकी पत्नी और उनके पिता ने एक बैंक से सावधि ऋण लिया और उक्त सूट संपत्ति की पहली मंजिल को एक द्वितीयक संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बनाया गया था-दोनों प्रत्यर्थी नं। 1 और उसके पिता ने न्यायालय में वचन दिया कि वे 4 महीने में वाद संपत्ति पर लगाए गए आरोप का निपटारा कर देंगे-हालाँकि, वे उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने में विफल रहे-इसके बाद, प्रत्यर्थी नं. 1 और उनके पिता, जिनके बाद बार-बार वचन दिए गए और उनका पालन नहीं किया गया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी नं. 1 उसकी उपस्थिति और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपना पासपोर्ट सौंपना-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:चूँकि बार-बार वचन दायर किए गए थे और उनका पालन नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी नं. 1 अपने पासपोर्ट को समर्पण करने के लिए-उक्त आदेश प्रथम प्रत्यर्थी की उपस्थिति और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था-यह नहीं कहा जा सकता है कि एकल न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है या पासपोर्ट को समर्पण करने का आदेश देने में कोई त्रुटि की है-यह सुनिश्चित करने के लिए कि

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

117 ए.

118 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

अवमानना कार्यवाही में पक्षों की उपस्थिति में, न्यायालय को पासपोर्ट के समर्पण सहित उचित आदेश पारित करने का अधिकार है-एकल न्यायाधीश ने पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश नहीं दिया था-एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी नं. 1 अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करना-एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में खंड पीठ सही नहीं थी-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपना पासपोर्ट जमा करने के आदेश की पुष्टि की जाती है।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** विचार के लिए छोटा बिंदु यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या **1** को अवमानना के लिए आगे बढ़ाया जाना है और क्या एकल न्यायाधीश प्रथम प्रत्यर्थी के पासपोर्ट को जमा करने का निर्देश देने में सही था।बेशक, **15.07.2013** पर, प्रत्यर्थी नं.**1** और प्रत्यर्थी संख्या **1** ने एक वचन पत्र दायर किया कि वे बैंक ऑफ इंडिया के बकाया का भुगतान करेंगे और वाद संपत्ति को चार महीने की अवधि के भीतर सभी शुल्कों/बोझों से मुक्त कर दिया जाएगा और वे अन्य चल और अचल संपत्तियों से बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान की जाने वाली ऋण राशि की व्यवस्था करेंगे।इसके बाद भी, प्रत्यर्थी संख्या **1** और उसके पिता ने अदालत के समक्ष एक शपथ पत्र दायर किया।वचन पत्र दाखिल करने के बाद, प्रथम प्रत्यर्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह न्यायालय के समक्ष दायर अपने वचन पत्र को बनाए रखे। प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से, उनके अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या **1** बैंक को राशि का भुगतान करने और संपत्ति पर शुल्क का भुगतान करने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा था; लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वे मुकदमे की संपत्ति पर शुल्क का भुगतान नहीं कर सके।जैसा कि पहले बताया गया है, प्रत्यर्थी के पिता नं।**1** बीमारी से पीड़ित था और **20.10.2015** पर आदेश पारित होने के एक सप्ताह के भीतर उसकी मृत्यु हो गई।**[**पैरा **24] [128-**डी**-**जी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. चूंकि बार-बार वचन पत्र दायर किए गए थे और उनका पालन नहीं किया गया था, इसलिए एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या **1** को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।उक्त आदेश प्रथम प्रत्यर्थी की उपस्थिति और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था।यह नहीं कहा जा सकता है कि एकल न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया या पासपोर्ट के समर्पण का आदेश देने में त्रुटि की।अवमानना कार्यवाही में पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को ए पारित करने का अधिकार है।

जी.

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस।

119

पासपोर्ट के समर्पण सहित उचित आदेश।बाल अभिरक्षा मामले से निपटने के दौरान, डेविड जूड बनाम हन्ना ग्रेस जूड और अन्य **(2003) 10** एस. सी. सी. **767** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को अवमानना संख्या **1** का पासपोर्ट रद्द करने और भारत में बच्चे के साथ अवमानना संख्या **1** की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।**[**पैरा **25] [128-**जी-एच**; 129-**ए-बी**]3.** यह इंगित किया गया है कि खंड पीठ ने इस तरह आगे बढ़ाया जैसे कि एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या **1** का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है, जबकि एकल न्यायाधीश ने केवल प्रत्यर्थी संख्या **1** को अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रत्यर्थी संख्या **1** को अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का उद्देश्य केवल प्रत्यर्थी संख्या **1** की उपस्थिति सुनिश्चित करना था जो न्यायालय के समक्ष बार-बार शपथ पत्र दाखिल कर रहा था लेकिन उसका पालन नहीं कर रहा था।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ ने प्रत्यर्थी संख्या **1** को न्यायालय के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश देने में एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में सही नहीं था और खंड पीठ के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है।प्रत्यर्थी संख्या **1** की उपस्थिति सुनिश्चित करने और मुकदमे की आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रत्यर्थी संख्या **1** को अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।**[**पैरा **26] [129-**सी-ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

डेविड जूड बनाम हन्ना ग्रेस जूड एंड अदर **(2003)**

10 एस**.** सी**.** सी**. 767-**पर निर्भर था।मामला कानून संदर्भ

एफ.

(2003) 10 एस**.** सी**.** सी**. 767**

उस पर भरोसा करें

पैरा **25**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2210।

2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) संख्या 210 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

जी.

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश चंद्र पांडे, पीयूष शर्मा, आलोक कुमार, सुश्री शुभांगी तिवारी, जवाहर लाल, मोहम्मद साजिद और वी. इलांचेझियान, अधिवक्ता।, उपस्थित दलों के लिए।

एच.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर**.** भानुमति**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2017 में एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) <आई. डी. 2 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 01.08.2018 के अंतिम आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया है और प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) के पासपोर्ट को हिरासत में लेने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था और आगे प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) के पासपोर्ट को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैंः- अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 का सी. एस. (ओ. एस.) <आई. डी. 1 होने के नाते एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें प्लॉट No.68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली पर निर्मित आवासीय घर की पहली और दूसरी मंजिल होने की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और सूट संपत्ति पर कब्जा करने की मांग की गई।वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी ने वाद संपत्ति के विभाजन की मांग की है।अपीलार्थी का मामला यह है कि 1954 में स्वर्गीय नियामत साहनी ने नई दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम) में 3000 वर्ग किलोमीटर के भूखंड का अधिग्रहण किया था।फ्रेंड्स कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड से गज की दूरी पर, जिसमें उन्होंने भूतल और पहली मंजिल वाली एक मुख्य इमारत का निर्माण किया। नियामत साहनी स्वयं और उनके बेटे श्याम साहनी (अपीलार्थी) और उनके परिवार के साथ भूतल पर रह रहे थे।नियामत साहनी की मृत्यु के तुरंत बाद, अपीलार्थी को पता चला कि सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में या अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित किया है, जो कि पहली मंजिल और दूसरी मंजिल और छत पर 68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम) नई दिल्ली में निर्मित आवासीय भवन में है, जो अपीलार्थी की मां से संबंधित है, अपीलार्थी ने घोषणा, कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया है और 2008 के सी. एस. (ओ. एस.) No.1134 में विभाजन के लिए भी याचिका दायर की है जो प्रत्यर्थी गवाहों की प्रतिपरीक्षा के चरण में लंबित है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मुकदमे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पहले प्रत्यर्थी की मां उषा प्रकाश ने 1974 में पहली मंजिल और छत और दूसरी मंजिल पर भौतिक कब्जा कर लिया था और उसे छोड़ दिया गया था।13.08.1984 पर, नियामत साहनी ने अपने बेटे-अपीलार्थी श्याम साहनी और उनकी बेटी ए के बीच बराबर हिस्सेदारी को विभाजित करते हुए हिंदी में एक पंजीकृत वसीयत बनाई।

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.] ए.

121

उषा प्रकाश (प्रत्यर्थी संख्या 1 की माँ)।23.12.1992 पर, नियामत साहनी ने अंग्रेजी में एक और पंजीकृत वसीयत भी बनाई जो 1984 में बनाई गई उनकी पिछली वसीयत के समान थी।यह कहा गया है कि 06.12.1999 पर, अपीलार्थी और उषा प्रकाश (प्रत्यर्थी संख्या 1 की माँ) के बीच एक अपरिवर्तनीय पारिवारिक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी पुष्टि नियामत साहनी ने इस प्रकार की थी, जो उनके बेटे और बेटी के बीच भूमि के भूखंड में अविभाजित हिस्से का 50 प्रतिशत था।प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, समझौते के अनुसार, सूट संपत्ति का भूतल अपीलार्थी को पूरे पार्किंग, गैरेज और संपत्ति के बाईं ओर सर्वेंट क्वार्टर के साथ दिया गया था; जबकि पहली मंजिल और बाद की मंजिलें (सूट संपत्ति के दाईं ओर पूरी पार्किंग और सामने के प्रवेश द्वार के साथ) प्रत्यर्थी संख्या 1 की माँ उषा प्रकाश को दी गई थीं।प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, दिनांकित पारिवारिक समझौता 06.12.1999 अपीलार्थी और उषा प्रकाश के बीच एक अपरिवर्तनीय पारिवारिक समझौता है और सूट संपत्ति को मिलने और सीमा से विभाजित करने पर भी कार्रवाई की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आगे कहा है कि नियामत साहनी ने 03.01.2002 पर एक जनरल पावर ऑफ एटनरी का निष्पादन किया था और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार, उषा प्रकाश ने दूसरी मंजिल पर तीन फ्लैट अलग-अलग पक्षों को और पहली मंजिल को अपने पति सरबजीत प्रकाश को अलग-अलग पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से बेच दिया था। 26.06.2005 पर उषा प्रकाश का कैंसर के कारण निधन हो गया।

बी.

सी.

डी.

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आगे कहा कि अक्टूबर, 2007 में, मेसर्स सोल एंड एटियर्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड (प्रथम प्रत्यर्थी, उनकी पत्नी और उनके पिता सरबजीत प्रकाश द्वारा गठित एक कंपनी) ने रु। बैंक ऑफ इंडिया से 4 करोड़ 25 लाख।सरबजीत प्रकाश बैंक ऑफ इंडिया से उक्त परियोजना वित्तपोषण ऋण के लिए गारंटर के रूप में भी खड़े थे और भारतीय रिजर्व

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया को द्वितीयक संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में संपत्ति की पहली मंजिल पर एक न्यायसंगत बंधक बनाया गया है।लिखित प्रस्तुति में, प्रथम प्रत्यर्थी ने आगे आरोप लगाया है कि अपीलार्थी ने 2008 का सीएस (ओएस) No.1134 होने के नाते एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें 06.12.1999 पर अपरिवर्तनीय पारिवारिक समझौते के ज्ञापन के तथ्य को छुपाया गया था।अक्टूबर, 2008 में, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपरोक्त कंपनी को 5 करोड़ रुपये में एक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा (स्टॉक और बुक ऋण के खिलाफ बताई गई) प्रदान की गई थी।2009 के अंत तक, मेसर्स सोल एंड एटियर्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के खाते को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया था और बैंक ऑफ इंडिया ने 31.10.2011 पर पहली मंजिल का भौतिक कब्जा ले लिया था।चूंकि ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया है, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया ने डी. आर. टी., नई दिल्ली के समक्ष 2011 का ओ. ए. No.297 दाखिल किया था और इसे डी. आर. टी. और डी. आर. टी. द्वारा निर्धारित किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

122

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

आर. सी. No.172/2012 बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था और वसूली अधिकारी के समक्ष वसूली की कार्यवाही अभी भी चल रही है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 की शिकायत यह है कि ऋण सुविधा का लाभ उठाया गया था और समान बंधक अक्टूबर, 2007 के पहले सप्ताह में भी बनाया गया था, जो दिनांक 02.06.2008 के एकतरफा आदेश से बहुत पहले था।प्रथम प्रत्यर्थी की आगे की शिकायत यह है कि 02.06.2008 पर एकतरफा रोक लगाने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी।

बी.

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 02.06.2008 आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को वाद संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों को बेचने, अलग करने या बनाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की।वादी के इस कथन पर ध्यान देते हुए कि प्रत्यर्थी

No.1-Sarabjit प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति पर आगे निर्माण कर रहे हैं और वे उषा प्रकाश और अन्य प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज बना रहे हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि सुविधा का संतुलन अपीलकर्ता-वादी के पक्ष में है, जिससे 02.06.2008 पर रोक का एकतरफा आदेश दिया गया।

सी.

डी.

8. प्रतिवादियों द्वारा निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2011 के आई. ए. <आई. डी. 2 के रूप में आदेश XXXIX नियम 2 ए सी. पी. सी. के तहत अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 और 12 के साथ दिनांकित 02.06.2008 के निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के लिए एक आवेदन दायर किया।यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) और प्रत्यर्थी संख्या 1 (सरबजीत प्रकाश), जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता हैं, ने मुकदमे की संपत्ति की पहली मंजिल को गिरवी रखकर बैंक ऑफ इंडिया से वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाया। 4. 20 करोड़ से रु. 5. 20 करोड़ जो दो अलग-अलग अवसरों पर बढ़ाया गया था यानी जब प्रतिवादियों ने सूट संपत्ति पर आरोप लगाया था। 9. 24 करोड़ और बाद में, Rs.11 करोड़।

ई.

एफ.

9. अवमानना याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई और कई आदेश पारित किए गए।हालाँकि कई आदेश पारित किए गए हैं, हम केवल उन आदेशों का उल्लेख करेंगे जो इस अपील पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं। 05.12.2011 पर, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने 02.06.2008 के निषेधाज्ञा आदेश की पुष्टि की, जिसमें पक्षों को मुकदमे की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।बाद की सुनवाई में, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अवमानना का दोषी ठहराया और प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4-प्रत्यर्थी संख्या 1 को परिसंपत्तियों की सूची का खुलासा करते हुए अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।02.07.2013 पर, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी No.4-respondent A दोनों

जी.

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.] ए.

नं. 1 ने प्रस्तुत किया कि वाद संपत्ति पर इस तरह से बनाया गया शुल्क उनके द्वारा अपने स्वयं के धन और संसाधनों से चार महीने के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा।तदनुसार, न्यायालय ने प्रत्यर्थी No.1-Sarabjit प्रकाश और प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 को इस संबंध में एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।उक्त निर्देश का पालन किया गया और दोनों ने 15.07.2013 पर अपने-अपने उपक्रम प्रस्तुत किए।हालाँकि, 16.12.2013 पर, अदालत ने दर्ज किया कि उस प्रभाव के लिए अपना वचन प्रस्तुत करने के बावजूद, सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) दोनों उनके द्वारा दिए गए वचन का पालन करने में विफल रहे हैं।

बी.

10. पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 4) और उसके पिता सरबजीत प्रकाश (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ संबंधित उपक्रम/बयान का पालन नहीं करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 10 और 12 के साथ सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत 2013 का आई. ए. No.41 दायर किया।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने पिता सरबजीत प्रकाश-प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक संयुक्त जवाब दायर किया जिसमें उन्होंने अपनी दिवालियापन और आरोप को दूर करने में कठिनाइयों का अनुरोध किया और 33, सुंदर नगर, नई दिल्ली में सूट संपत्ति और अन्य संपत्ति को बेचने से प्राप्त राशि से सूट संपत्ति पर आरोप हटाने के लिए एक और वचन पत्र प्रस्तुत किया।इस बीच, प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु 28.10.2015 पर हुई।11. सुनवाई की अगली तारीख को, अदालत ने दर्ज किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 4) ने दिल्ली छोड़ दी थी और अपने परिवार के साथ सिंगापुर चले गए थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता को उनके निवास का प्रमाण स्थापित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 का नया पता दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।उक्त निर्देश को फिर से 28.07.2016 पर दोहराया गया।प्रत्यर्थी नंबर 1 ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें उसने दावा किया कि वह अभी भी दिल्ली में रह रहा है और अपने सिंगापुर निवासी विवरण का उल्लेख नहीं किया है।सुनवाई की अगली तारीख यानी आई. डी. 2 पर, अदालत ने दर्ज किया कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने आज तक अपने द्वारा बताई गई राशि को समाप्त नहीं किया है, इसलिए, उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को आई. डी. 1 पर अदालत में निर्देशित किया गया था। इस तरह के निर्देश के बावजूद, प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं था और सुनवाई की अगली तारीख यानी 13.02.2017 पर, कार्यवाही को एकतरफा प्रत्यर्थी नंबर 1 पर निर्धारित किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. 02.03.2017 पर, अदालत ने दर्ज किया कि मुक़दमे की संपत्ति पर आरोप अभी तक साफ़ नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 को अपना पासपोर्ट जमा करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था।तदनुसार, प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 ने अमृतसर में स्थित अपनी सास (रमा खन्ना) के स्वामित्व वाली तीन संपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में पेश किया और उनका पासपोर्ट कोर्ट मास्टर की हिरासत में जमा कर दिया गया।प्रत्यर्थी

एच.

इसके बाद नंबर 1 ने एक वचन पत्र दायर किया कि उसके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएं और उसके भारत नहीं लौटने पर प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अदालत ने दिनांक 22.03.2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए वचन को स्वीकार कर लिया और कोर्ट मास्टर को प्रत्यर्थी संख्या 1 को पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और अदालत ने उसे 26.05.2017 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस बार अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन नहीं किया।पहले के आदेश का पालन न करने और उसके द्वारा बार-बार दिए गए वचनों के उल्लंघन को देखते हुए, अदालत ने उसे देश छोड़ने से रोक दिया और उसे सहायक पंजीयक के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

बी.

सी.

13. दिनांकित 26.05.2017 आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2017 का I. A. No.6907 दायर कर दिनांकित 26.05.2017 आदेश को वापस लेने की मांग की।जैसा कि मामला सूचीबद्ध किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक बार फिर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की।प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उसने न्यायालय के दिनांकित आदेश के अनुसार देश नहीं छोड़ा है और प्रत्यर्थी संख्या 1 का पासपोर्ट आज ही जमा किया जाएगा।आदेश के पैरा (5) में एकल न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को दिनांक 30.05.2017 के आदेश के पैरा (4) के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को अपने पासपोर्ट विवरण से संबंधित संचार भेजने का निर्देश दिया।उसी आदेश के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1 को देश छोड़ने से रोक दिया गया और मामले को स्थगित कर दिया गया।

बाद में अदालत की फाइल के निरीक्षण से पता चला कि आप्रवासन विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि प्रत्यर्थी नंबर 1 को 05.07.2017 पर भारत लौटते समय हिरासत में लिया गया था।

डी.

ई.

14. अपीलार्थी ने एक बार फिर अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 और 12 के साथ सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXXIX नियम 2 ए सी. पी. सी. के तहत 2017 का आई. ए. संख्या 7557 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें अवमानना कार्यवाही शुरू करने और प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ उचित निर्देश देने की मांग की गई।

एफ.

15. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2017 का एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) संख्या 210 दाखिल करके उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 26.05.2017 आदेश के पैरा (4) और पैरा (5) को चुनौती दी गई थी।विवादित फैसले के माध्यम से, डिवीजन बेंच ने 2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) No.210 को यह कहते हुए अनुमति दी कि जिस बैंक के साथ संपत्ति पर शुल्क लगाया गया था, वह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकार नहीं था और ए.

जी.

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.] ए.

125

बैंक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफलता के लिए प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाएं।इसी तरह, पासपोर्ट को बनाए रखने जैसे किसी भी प्रतिबंध को लागू करने का कोई उचित औचित्य नहीं था और डिवीजन बेंच ने प्रत्यर्थी No.1-defendant नंबर 4 को पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया।डिवीजन बेंच के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी हमारे सामने आया।

बी.

16. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने चार महीने के भीतर वाद संपत्ति के एक हिस्से पर बनाए गए आरोपों को हटाने के लिए एक बिना शर्त वचन दिया; हालाँकि, ऐसा वचन

केवल शब्द साबित हुए और पहले प्रत्यर्थी द्वारा उस अवधि के भीतर ऐसा कोई आरोप नहीं हटाया गया जो उसने शुरू की है।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बार-बार टालमटोल जवाब और वचन दे रहा था; लेकिन इसका पालन करने में विफल रहा।दिनांक 1 दिनांकित शपथपत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्त शपथपत्र में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कहा है कि वह अभी भी दिल्ली में रह रहा है, जबकि वास्तव में वह पहले ही मई, 2016 में अपने परिवार के साथ सिंगापुर स्थानांतरित हो चुका था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला पासपोर्ट को जब्त करने का मामला नहीं है; बल्कि वर्तमान मामला वह है जहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने हलफनामे दिनांक 1 के संदर्भ में अपने वचन के अनुसार पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्यर्थी संख्या 1 की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके क्योंकि अदालत का विचार था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 सिंगापुर के लिए भारत छोड़ देगा।यह तर्क दिया गया कि अवमानना याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पक्ष न्यायालय के समक्ष दायर किए गए उपक्रमों का पालन करते हैं, न्यायालय के पास पासपोर्ट जमा करने का निर्देश देने की शक्ति है और खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में गलती की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और उनके पिता स्वर्गीय सरबजीत प्रकाश ने बैंक बकाया का भुगतान करने के लिए सभी प्रयास किए हैं; लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वे आरोप का भुगतान नहीं कर सके।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूट संपत्ति No.68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली का न्यायसंगत बाजार मूल्य अक्टूबर, 2017 में कथित पूर्व-पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.06.2008 से बहुत पहले किया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश बैंक की वसूली के लिए डी. आर. टी. के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने वाले विभिन्न आदेश पारित करने में सही नहीं थे।

जी.

एच.

देय राशि जब बैंक ऑफ इंडिया को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जाता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 2008 के सीएस (ओएस) No.1134 होने के मुकदमे में पहले से ही यथास्थिति का आदेश पारित किया जा चुका है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना पासपोर्ट जमा करने और देश नहीं छोड़ने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि 2012 में, बैंक ने अपने बकाया की वसूली के लिए पहली मंजिल को बेचने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन बैंक ने आगे नहीं बढ़ाया और परिणामस्वरूप, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था और जबकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए बैंक का बोझ उठाना और प्रत्यर्थी संख्या 1 को बकाया चुकाने का निर्देश देना उचित नहीं था।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को बकाया चुकाने के लिए मजबूर करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दंडात्मक निर्देश डिवीजन बेंच द्वारा वारंट नहीं किए गए थे और उचित रूप से दरकिनार कर दिए गए थे और विवादित आदेश हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

बी.

सी.

18. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित फैसले और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है।19. सरबजीत प्रकाश को 30.05.2013 पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई की अगली तारीख यानी 30.05.2013 पर, सरबजीत प्रकाश अदालत में मौजूद नहीं थे और मामला 02.07.2013 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।अदालत में उपस्थित सरबजीत प्रकाश (प्रत्यर्थी संख्या 1) और प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कहा कि अगर उन्हें चार महीने का समय दिया जाता है, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के बकाया का भुगतान किया जाए और मुकदमा संपत्ति का हिस्सा जो बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाता है, अर्थात् 68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली की पहली मंजिल को सभी शुल्कों/बोझों से मुक्त कर दिया जाएगा।सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी नंबर 1 ने यह भी कहा है कि वे इस आशय का उचित हलफनामा दायर करेंगे और इस तरह के बयान पर अवमानना याचिका को चार महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था।तदनुसार, सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वे बैंक ऑफ इंडिया के बकाया का भुगतान तब करेंगे जब नई दिल्ली की फर्स्ट फ्लोर, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम) को चार महीने की अवधि के भीतर सभी शुल्कों/बोझों से मुक्त कर दिया जाएगा और वे सरबजीत प्रकाश के नाम पर अन्य चल और अचल संपत्तियों से बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान की जाने वाली ऋण राशि की व्यवस्था करेंगे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

20. जब मामला अदालत द्वारा उठाया गया था, तो अदालत ने नोट किया कि वचन के अनुसार, बैंक को राशि का भुगतान नहीं किया गया है और सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 वचन के अनुसार मुकदमे की संपत्ति पर आरोप का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अपीलार्थी ने फिर से आई. ए. ए. दायर किया।

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.] ए.

127

अदालत के समक्ष दिए गए संबंधित वचन/बयान का पालन नहीं करने के लिए सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत 2013 का No.41।आई. डी. 1 पर, सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी नंबर 1 ने एक संयुक्त जवाब दायर किया जिसमें कहा गया कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वे मुक़दमे की संपत्ति पर आरोप का निपटारा करने में असमर्थ हैं और 33, सुंदर नगर, नई दिल्ली से प्राप्त राशि से मुक़दमे की संपत्ति पर आरोप का निपटारा करने का वचन देते हैं।

बी.

21. 2015 के आई. ए. No.21764 में अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आई. डी. 1 पर रु. 3. 50 करोड़ रुपये का उपयोग सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा सरबजीत प्रकाश के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के अलावा नहीं किया जाएगा।उपरोक्त आदेश के एक सप्ताह बाद, सरबजीत प्रकाश का कई बार दिल का दौरा पड़ने के कारण नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया।

सी.

22. आई. डी. 1 पर, न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना वर्तमान पता और मृतक सरबजीत प्रकाश की संपत्ति के लिए अपने पक्ष में वसीयत की सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सिंगापुर के पते का खुलासा किए बिना बी-334, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली में रहने का दावा करते हुए एक झूठा हलफनामा दायर किया।आई. डी. 1 पर, अदालत ने दर्ज किया कि मुकदमे की संपत्ति पर लगी बाधाओं को आज तक दूर नहीं किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना पासपोर्ट जमा करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।सुनवाई की अगली

तारीख यानी आई. डी. 1 पर, प्रत्यर्थी नंबर 1 ने अपनी सास (अमृतसर से रमा खन्ना) के स्वामित्व वाली तीन संपत्तियों की पेशकश करते हुए यह कहा कि उसके पास देने के लिए कोई अन्य प्रतिभूति नहीं है।यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने उपक्रमों/बयानों का पालन करने में विफल रहा है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 को भारत छोड़ने से रोकने का आदेश दिया।

डी.

ई.

एफ.

23. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, उसने अपनी सास (अमृतसर से रमा खन्ना) की तीन संपत्तियों के मूल स्वामित्व विलेख जमा करके अदालत के समक्ष अतिरिक्त प्रतिभूति पेश करके अपनी ईमानदारी दिखाई है। 4. 45 करोड़।प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मुकदमा संपत्ति (यानी 68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), प्रथम तल, नई दिल्ली) का न्यायसंगत बंधक अक्टूबर, 2007 के पहले सप्ताह में भी बनाया गया था, जो कि दिनांक 02.06.2008 के एकतरफा स्थगन आदेश से बहुत पहले था।विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अक्टूबर, 2008 में कंपनी-मेसर्स सोल एंड एटियर्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को 5 करोड़ रुपये में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान की गई थी।

जी.

एच.

स्टॉक और बुक ऋण) बैंकिंग नियमों के अनुसार।प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा कभी भी संपत्ति के खिलाफ ऋण नहीं है, बल्कि केवल स्टॉक और बुक ऋण के खिलाफ है।प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति का एक वास्तविक कानूनी मालिक है, जो पंजीकृत वसीयत के माध्यम से उसके पिता-सरबजीत प्रकाश द्वारा उसके पक्ष में किया जाएगा, जिनके नाम पर पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से कानूनी अधिकार था, जिसे उनकी पत्नी उषा प्रकाश द्वारा उनकी मां नियामत साहनी द्वारा उन्हें दी गई पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 03.01.2002 के माध्यम से निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति No.68, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), पहली मंजिल, नई दिल्ली पर अधिकार का दावा करता है।सरबजीत प्रकाश के पक्ष में प्रत्यर्थी नंबर 1 की माँ

उषा प्रकाश द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख की शुद्धता और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में उठाए गए विवाद के बारे में सवाल का निर्धारण पक्षकारों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही मुकदमे में किया जा सका।

बी.

सी.

24. विचार के लिए छोटा बिंदु यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 को अवमानना के लिए आगे बढ़ाया जाना है और क्या विद्वान एकल न्यायाधीश प्रथम प्रत्यर्थी के पासपोर्ट को जमा करने का निर्देश देने में सही था।बेशक, आई. डी. 1 पर, सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वचन पत्र दायर किया कि वे बैंक ऑफ इंडिया के बकाया का भुगतान करेंगे और मुकदमे की संपत्ति को चार महीने की अवधि के भीतर सभी शुल्कों/बोझों से मुक्त कर दिया जाएगा और वे अन्य चल और अचल संपत्तियों से बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान की जाने वाली ऋण राशि की व्यवस्था करेंगे।इसके बाद भी, सरबजीत प्रकाश और प्रत्यर्थी नंबर 1 ने अदालत के समक्ष एक शपथ पत्र दायर किया।वचन पत्र दाखिल करने के बाद, प्रथम प्रत्यर्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह न्यायालय के समक्ष दायर अपने वचन पत्र को बनाए रखे।प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बैंक को राशि का भुगतान करने और संपत्ति पर शुल्क का भुगतान करने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा था; लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वे मुकदमे की संपत्ति पर शुल्क का भुगतान नहीं कर सके।जैसा कि पहले बताया गया है, सरबजीत प्रकाश बीमारी से पीड़ित थे और 20.10.2015 पर आदेश पारित होने के एक सप्ताह के भीतर उनका निधन हो गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

25. चूंकि बार-बार वचन पत्र दायर किए गए थे और उनका पालन नहीं किया गया था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।उक्त आदेश प्रथम प्रत्यर्थी की उपस्थिति और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था।यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र या ए को पार कर लिया है

एच.

श्याम साहनी बनाम अर्जुन प्रकाश और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.] ए.

पासपोर्ट के समर्पण का आदेश देने में गलती की।अवमानना कार्यवाही में पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को पासपोर्ट के समर्पण सहित उचित आदेश पारित करने का अधिकार है।बाल अभिरक्षा मामले से निपटने के दौरान, डेविड जूड बनाम.

हन्ना ग्रेस जूड एंड अदर (2003) 10 एस. सी. सी. 767, द सुप्रीम

न्यायालय ने भारत संघ को अवमाननाकर्ता संख्या 1 का पासपोर्ट रद्द करने और भारत में बच्चे के साथ अवमाननाकर्ता संख्या 1 की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

बी.

26. यह इंगित किया गया है कि खंड पीठ ने इस तरह आगे बढ़ाया जैसे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है; जबकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का उद्देश्य केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 की उपस्थिति सुनिश्चित करना था जो न्यायालय के समक्ष बार-बार शपथ पत्र दाखिल कर रहा था लेकिन उसका पालन नहीं कर रहा था।हमारे विचार में, डिवीजन बेंच ने प्रत्यर्थी नंबर 1 को अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश देने में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करना सही नहीं था और डिवीजन बेंच के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 की उपस्थिति सुनिश्चित करने और मुकदमे की आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 1 को अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

27. अपीलार्थी की ओर से, यह कहा गया है कि खंड पीठ के आदेश को देखते हुए, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा 04.12.2018 पर अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया गया है और अवमानना याचिका को बहाल करने का अनुरोध किया गया है।चूंकि मुकदमा वर्ष 2008 का है और अदालत का अधिकांश समय अंतरिम आदेशों और अवमानना याचिका पर खर्च किया गया है, इसलिए हम अवमानना याचिका को बहाल करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।चूंकि मुकदमा वर्ष 2008 का है और मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और कहा जाता है कि मामला प्रत्यर्थी गवाहों से जिरह के लिए लंबित है, इसलिए यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उस स्तर पर उपलब्ध होगा जब मुकदमा निपटाया

जाएगा और यदि उसे प्रतिकूल डिक्री का सामना करना पड़ता है, उसी समय मुकदमे के शीघ्र निपटारे का निर्देश देना पर्याप्त है।

एफ.

जी.

28. 2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) No.210 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिवीजन बेंच दिनांक 01.08.2018 के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया है और इस अपील की अनुमति दी गई है।उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश और मुकदमे की आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 1 को अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे 2008 के सिविल मुकदमे को सी. एस. (ओ. एस.) No.1134 के रूप में लें और मुकदमे को जारी रखें और नौ महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः इसका शीघ्र निपटान करें।कोई लागत नहीं।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.